झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
JHARKHAND STATE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
(Government of Jharkhand Undertaking)

पत्रांक / Ref. No. : 268 मु०ख०प०बो० दिनांक / Dated : 24.06.2022

सूचना

झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वितीय तल, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची द्वारा संचालित कताई–बुनाई प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्न विवरणी एवं शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र दिनांक 27.06.2022 तक आमंत्रित किया जाता है :–

क्र.	प्रशिक्षण केंद्र का नाम	आवेदन पत्र जमा करने का स्थान
1	सिलाई एवं कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, देवघर	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं देवघर
2	कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, आमदा, सिजुलता, कुनाबेड़ा, मकदमबेड़ा, मारंगहातु, कुचाई, महुलडीह	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं आमदा
3	कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, हरिहरगंज	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं हरिहरगंज
4	कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, डालटेनगंज	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं डालटेनगंज
5	कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, गढ़वा	सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, रातु रोड, रांची एवं गढ़वा
6	खादी पार्क, राजनगर सिलाई एवं कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, सरायकेला–खरसावां	खादी पार्क, आमदा, सरायकेला–खरसावां
7	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, चांडिल	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, चांडिल
8	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, भगैया	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, भगैया
9	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, दुमका	तसर सूत कताई–बुनाई प्रशिक्षण केंद्र, दुमका

शर्तें :–

1. अभ्यार्थियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
2. आवेदन करने वाले प्रशिक्षणार्थियों की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है, परंतु मैट्रिक पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. प्रशिक्षण की अवधि 06 (छः) माह की होगी।

prashikshan suchana 20.06.2022

उद्योग भवन, द्वितीय तल, रातु रोड, राँची - 834001 (झारखण्ड) / Udyog Bhawan, 2nd Floor, Ratu Road, Ranchi - 834001 (Jharkhand)
दूरभाष / Phone : 0651-2280970, फैक्स/Fax : 0651-2280900
वेबसाईट / Website : www.jharkhandkhadi.net ईमेल / E-mail : headoffice@jharkhandkhadi.net

5. प्रशिक्षण अवधि में निर्धारित छात्रवृति 4500.00 रुपये प्रतिमाह देय होगा।
6. आधार कार्ड एवं मतदान पहचान पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही ST, SC एवं OBC का जाति प्रमाण–पत्र (आवेदन में जाति का उल्लेख स्पष्ट करें।) एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
7. प्रशिक्षण का समय पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगा।
8. आवेदन पत्र पूर्णरूपेण भरा हुआ फोटो के साथ निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।
9. प्रशिक्षणार्थियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रावधान के अनुसार किया जायेगा।
10. साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल नहीं हो पायेंगे।
11. प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षणार्थी को 01 (एक) वर्ष अनिवार्यरूप से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के केंद्रों में उत्पादन कार्य करना होगा।
12. प्रशिक्षण केंद्र के आस–पास रहने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। आवेदन पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के **वेबसाइट : www.jharkhandkhadi.net** से डाउनलोड की जा सकती है।
13. कोविड–19 को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी